

## आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)a के तहत  
**आर०एम० वाद सं०-44 / 2010-11**

डोमनी मुण्डाईन.....दानकर्ता  
बनाम

शिवनाम मुण्डा वगैरह.....विपक्षी

19.07.22


अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, तमाड़ के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। आवेदक एवं उनके अधिवक्ता द्वारा अनुमति वाद में किसी भी तरह का कोई अभिरुची नहीं दिखाई जा रही है यानि आवेदक को जमीन दान करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।


अतः उपरोक्त अनुमति वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

### भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
गुमानडीह	तमाड़	75	211 271	13.77 ए०

लेखापित एवं संशोधित।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू (राँची)।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू (राँची)।